

आयुक्त-सह-अध्यक्ष, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर की अध्यक्षता में दिनांक-26.02.2026 को अपराह्न 05:00 बजे से आयोजित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर की बैठक की कार्यवाही :-

आयुक्त-सह-अध्यक्ष, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर की अनुमति से संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्य एवं विशेष आमंत्रित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गयी ।

उपस्थिति :- यथा पंजी के अनुरूप ।

- सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर द्वारा जानकारी दी गयी कि दिनांक-31.01.2026 को सम्पन्न क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार की बैठक में सर्वसम्मति से लिये गये निर्णय के आलोक में अनुवर्ती कार्रवाई करते हुए अनुपालन किया जा रहा है ।
- सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर द्वारा बस के स्थायी परमिट एवं अन्य मामले हेतु कुल 44 आवेदन निर्णयार्थ बैठक में उपस्थापित किए गए हैं । सचिव द्वारा जानकारी दी गई कि आवेदन के साथ संलग्न संगत प्रमाण-पत्र/कागजातों की वैधता/पात्रता/उपयुक्तता की सम्पूर्ण जाँच कार्यालय द्वारा कर ली गई है । कार्यालय द्वारा तैयार कार्यावली में वाहनों की विवरणी/समय सारणी/मार्ग/दूरी/प्रतिदिन की जाने वाली ट्रिपों की संख्या आदि की विवरणी भी अंकित है । समीक्षोपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिए गए जिसका विवरण अधोलिखित कंडिकाओं में वर्णित है:-

दिनांक-26.02.2026 को प्राधिकार बोर्ड की बैठक में रखे जाने वाले सवारी गाड़ी की स्थायी परमिट हेतु प्राप्त आवेदन कार्यावली संख्या - 01

प्राधिकार की बैठक दिनांक- 31.01.2026 का लंबित संशोधित समय-सारणी।

क्र० सं०	पूर्व का आवेदन क्रमांक	वाहन सं०/ निबंधन की तिथि, आवेदक का नाम एवं पता	आवेदित मार्ग/दूरी एवं प्रतिदिन की जाने वाली ट्रिपों की सं० एवं कुल दूरी	वाहन के कागजात की स्थिति	आपत्ति	प्राधिकार का निर्णय
1	25	BR10PA-5579 (04.12.2013) श्री नीरज कुमार सिंह, पिता-श्री नेपो सिंह, पता-खम्हर, मु०, जिला-बेगुसराय ।	प्रकाशन-31.12.25 अधिसूचित मार्ग संख्या-3154, शकरपुरा से बेगुसराय । भाया-बखरी एवं मंझौल । ट्रिप-03 (03 अप 03 डाउन)	टेक्स-21.05.26 फिटनेश-17.05.26 बीमा-15.01.26 प्रदूषण-29.06.26	➤ आपत्तिकर्ता श्री अजीत कुमार, वाहन सं०-BR34G-0110 का कहना है कि प्राधिकार की बैठक में वाहन सं०-BR10PA-5579 के सुनवाई के दौरान टकराव के बिन्दु पर संशोधित समय-सारणी समर्पित करने का आदेश प्राप्त है । प्राधिकार की बैठक 31.01.2026 के कार्यवाही की प्रति संलग्न है । साथ ही साथ वाहन सं०-BR10PA-5579 का व्हीलबेस 4900 MM है जबकि ऑनर बूक में दर्ज बैठान क्षमता 41 सीट है । आपत्तिकर्ता श्री नीरज कुमार सिंह के द्वारा जो पूर्व में मेरे वाहन सं०-BR34P-0110 एवं BR09R-0110 के व्हीलबेस पर आपत्ति किया गया है एवं बताया गया है 4900 MM की गाड़ी में 49 सीट होना चाहिए । वाहन सं०-BR10PA-5579 का व्हीलबेस 4900 है तो उसमें भी 49 सीट होना चाहिए । 41 क्यों है जो जाँच का विषय है । साथ ही साथ ओभरटेक का भी मामला है तो पूर्व के बैठक 31.01.2026 में भी दर्ज है । अतः श्रीमान् से नम्र निवेदन है कि	➤ आवेदनकर्ता का अधिसूचित मार्ग सं०-3154 शकरपुरा से बेगुसराय है तथा आपत्तिकर्ता का अधिसूचित मार्ग सं०-3015 डाउन बेगुसराय से अलौली है । आवेदनकर्ता द्वारा परमिट आवेदन वापस ले लिया गया है । आवेदनकर्ता के वाहन का व्हीलबेस 4900 MM है जबकि ऑनर बूक में दर्ज बैठान क्षमता 41 है । व्हीलबेस 4900 MM में बैठान क्षमता 41 होना चाहिए या 49 के संबंध में जिला परिवहन पदाधिकारी, भागलपुर से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त किया जाय ।

अपर समाहर्ता-सह-सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

					<p>वाहन सं०-BR10PA-5579 का प्राधिकार की बैठक 31.01.2026 के कार्यवाही के मुताबिक संशोधित समय-सारणी कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया जो जाँच का विषय है। साथ ही साथ व्हीलबेस 4900 निबंधन पुस्तिका में दर्ज बैटान क्षमता 41 भी जाँच के दायरे में है। अतएव जाँच एवं संशोधित समय-सारणी समर्पित करने के उपरान्त आवेदन पर विचार किया जाय।</p>	
2	28	<p>BR09PA-9700 (16.08.2019) श्री नीरज कुमार सिंह पिता-श्री नेपो सिंह पता-खम्हर, जिला-बेगूसराय।</p>	<p>प्रकाशन-31.12.25 अधिसूचित मार्ग संख्या-3154, शकरपुरा से बेगूसराय। भाया-बखरी एवं मंझौल। ट्रिप-03 (03 अप 03 डाउन)</p>	<p>टैक्स-15.02.26 फिटनेश-18.08.27 बीमा-06.09.26 प्रदूषण-23.09.26</p>	<p>वाहन सं०-BR34G-0110 का कहना है कि प्राधिकार की बैठक में वाहन सं०-BR09PA-9700 के सुनवाई के दौरान टकराव के बिन्दु पर संशोधित समय-सारणी समर्पित करने का आदेश प्राप्त है। प्राधिकार की बैठक 31.01.2026 के कार्यवाही की प्रति संलग्न है। साथ ही साथ वाहन सं०-BR09PA-9700 का व्हीलबेस 5200 MM है एवं सीट पुश बैक है एवं गाड़ी के निबंधन बूक में 37 सीट ओरडिनरी में दर्ज है जबकि पुश बैक गाड़ी होने के चलते 37 सीट डिलक्स में पास होना चाहिए जो जाँच का विषय है। वाहन स्वामी नीरज कुमार सिंह के द्वारा वाहन सं०-BR34P-0110 एवं BR09R-0110 पर बैठक 31.01.2026 में व्हीलबेस एवं सीट संबंधित आपत्ति लगाया गया है तो वाहन स्वामी श्री नीरज कुमार का भी जाँच होना चाहिए। अतः श्रीमान् से नम्र निवेदन है कि वाहन सं०-BR09PA-9700 का प्राधिकार की बैठक 31.01.2026 के कार्यवाही के मुताबिक संशोधित समय-सारणी कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है जो जाँच का विषय है। साथ ही साथ व्हीलबेस 5200 सीट पुश बैक है तो बैटान क्षमता 37 डिलक्स होना चाहिए जो 37 सीट ओरडिनरी है।</p>	<p>आवेदनकर्ता का अधिसूचित मार्ग सं०-3154 पर शकरपुरा से बेगूसराय है तथा आपत्तिकर्ता का अधिसूचित मार्ग सं०-3015 डाउन बेगूसराय से अलौली है। आवेदनकर्ता द्वारा परमिट आवेदन वापस ले लिया गया है। आवेदनकर्ता के वाहन का व्हीलबेस 5200 सीट पुश बैक है जबकि ऑनर बुक में दर्ज बैटान क्षमता 37 है। व्हीलबेस 5200 MM में बैटान क्षमता 37 सीट ऑर्डनरि या 37 सीट डीलक्स के संबंध में जिला परिवहन पदाधिकारी, बेगूसराय से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त किया जाय।</p>
3	29/1	<p>BR34P-7120 (17.01.2025) श्री धर्मबीर सहनी, पिता-श्री सुधीर सहनी, पता-बलुआही, कोशी कॉलेज,</p>	<p>प्रकाशन-31.12.25 अधिसूचित मार्ग संख्या-3045, आलमनगर से खगड़िया। भाया-बेलदौर, सोनवर्षाघाट,</p>	<p>टैक्स-10.01.26 फिटनेश-16.01.27 बीमा-10.01.26 प्रदूषण-16.01.26</p>	<p>प्रथम आपत्तिकर्ता श्री कृष्ण मोहन, वाहन सं०-BR19P-1266 का कहना है कि आवेदनकर्ता द्वारा दिये गये प्रस्तावित समय-सारणी मेरे वाहन के निर्गत परमिट के समय-सारणी के बीच निम्न टकराव है :- आवेदनकर्ता आपत्तिकर्ता</p>	<p>आवेदनकर्ता, द्वितीय, तृतीय, पंचम, छठे एवं सप्तम आपत्तिकर्ता का अधिसूचित मार्ग सं०-3045 आलमनगर से खगड़िया है, तथा प्रथम एवं चतुर्थ आपत्तिकर्ता का अधिसूचित मार्ग सं०-3045 डाउन खगड़िया से आलमनगर है।</p>

अपर समाहर्ता-सह-सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

	<p>खगड़िया, जिला-खगड़िया।</p>	<p>उसराहा एवं महेशखूट। ट्रिप-03 (03 अप 03 डाउन)</p>	<p>उसराहा प्र० 20:43 20:45 महेशखूट प्र० 21:18 21:20 वाहन सं०-BR34P-7120 बेलदौर, उसराहा एवं महेशखूट में मेरे वाहन के आगे मात्र 01 मिनट आगे चल रही है जबकि यह प्राधिकार के निर्णय के खिलाफ है।</p> <p>महोदय प्राधिकार के नियमानुसार निर्गत परमिट और ओवरटेकिंग नहीं होना चाहिए जो कि आवेदनकर्ता के द्वारा ऐसा नहीं किया गया है। इस तरह से करने के कारण हमलोग वाहन स्वामी 29.10.2025 की बैठक में आवेदन दिया कि हमलोगों को आर्थिक नुकसान पहुँचाने के लिए जान बूझकर ऐसा करते हैं जिस पर प्राधिकार ने इन्हें इस प्रकार के कृत्य की पुनरावृत्ति नहीं की जाय नहीं तो उचित कार्रवाई की जायेगी। इस बार भी प्राधिकार के निर्णय के खिलाफ आवेदन किया गया है जिससे हमलोगों को आर्थिक नुकसान पहुँचाने के उद्देश्य से किया गया है जबकि इनके पास पूर्व से परमिट प्राप्त है। मेरे आपत्ति को सुनते हुए उचित कार्रवाई करने की कृपा की जाय।</p> <p>➤ द्वितीय आपत्तिकर्ता श्री अमरेन्द्र कुमार, वाहन सं०-BR11PD-9318 का कहना है कि आवेदनकर्ता द्वारा दिये गये प्रस्तावित समय-सारणी मेरे वाहन के निर्गत परमिट के समय-सारणी के बीच निम्न टकराव है :-</p> <p>आवेदनकर्ता आपत्तिकर्ता बेलदौर प्र० 14:15 14:17 वाहन सं०-BR34P-7120 आलमनगर से 13:45 खुलती है जबकि मेरी वाहन आलमनगर से 13:24 खुलती है जिसे ओवर टेकिंग करते हुए बेलदौर में मेरी वाहन को 13:17 बजे के आगे 13:15 बजे तथा खगड़िया से 16:51 बजे मेरी वाहन के आगे 16:46 बजे खुलती है जिसे ओवर टेकिंग करके मेरे वाहन के निर्गत समय-सारणी 17:38 बजे के पीछे 18:04 महेशखूट में खुलती है। जबकि निर्गत परमिट के मात्र 02 मिनट आगे लिया गया है।</p> <p>महोदय प्राधिकार के नियमानुसार निर्गत परमिट और ओवरटेकिंग नहीं होना चाहिए जो कि आवेदनकर्ता के द्वारा ऐसा नहीं किया गया है। इस</p>	<p>➤ प्रथम आपत्तिकर्ता द्वारा आपत्ति से आच्छादित वांछित वाहन शुल्क जमा नहीं किया गया है।</p> <p>➤ द्वितीय आपत्तिकर्ता के निर्गत परमिट के समय-सारणी से आवेदन -कर्ता के संशोधित समय-सारणी के मध्य बिन्दु बेलदौर में प्रस्थान समय 14:15 पर टकराव नहीं है तथा आपत्तिकर्ता का परमिट प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।</p> <p>➤ तृतीय आपत्तिकर्ता के निर्गत परमिट के समय-सारणी से आवेदनकर्ता के संशोधित समय- सारणी के मध्य बिन्दु महेशखूट में प्रस्थान समय 18:04 पर टकराव नहीं है।</p> <p>➤ चतुर्थ आपत्तिकर्ता के निर्गत परमिट के समय-सारणी से आवेदनकर्ता के संशोधित समय- सारणी के मुख्य बिन्दु आलमनगर में प्रस्थान समय 13:45 पर एवं मध्य बिन्दु बेलदौर में प्रस्थान समय 14:15 पर टकराव नहीं है।</p> <p>➤ पंचम आपत्तिकर्ता के निर्गत परमिट के समय-सारणी से आवेदन -कर्ता के संशोधित समय- सारणी के मुख्य बिन्दु खगड़िया में प्रस्थान समय 08:38 पर एवं मध्य बिन्दु महेशखूट में प्रस्थान समय 09:33 पर टकराव नहीं है।</p> <p>➤ छठे आपत्तिकर्ता के निर्गत परमिट के समय-सारणी से आवेदन -कर्ता के संशोधित समय-सारणी के मुख्य बिन्दु खगड़िया में प्रस्थान समय 16:46 पर टकराव है। छठे आपत्तिकर्ता श्री अखिलेश मिश्रा, वाहन सं०-BR19C-7207 द्वारा समय -सारणी संशोधन हेतु प्रति पड़ाव के दर से अपेक्षित शुल्क के साथ खगड़िया में प्रस्थान समय 16:30 के स्थान पर 16:49 एवं महेशखूट में आगमन समय 17:05 के स्थान पर 17:17 पर संशोधित करने की स्वीकृति प्राधिकार की बैठक दिनांक -28.11.2024 को दी गई थी, परन्तु अदिनांक तक परिवहन विभाग द्वारा उक्त संशोधन को संशोधित नहीं की गई है और न ही कार्यालय को संशोधन प्राप्त हुआ है तथा वाहन की आयु 15 वर्ष से उपर हो चुकी</p>
--	-----------------------------------	---	---	--

अपर समाहर्ता-सह-सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

					<p>तरह से करने के कारण हमलोग वाहन स्वामी 29.10.2025 की बैठक में आवेदन दिया कि हमलोगों को आर्थिक नुकसान पहुँचाने के लिए जान बूझकर ऐसा करते हैं जिस पर प्राधिकार ने इन्हें इस प्रकार के कृत्य की पुनरावृत्ति नहीं की जाय नहीं तो उचित कार्रवाई की जायेगी। इस बार भी प्राधिकार के निर्णय के खिलाफ आवेदन किया गया है जिससे हमलोगों को आर्थिक नुकसान पहुँचाने के उद्देश्य से किया गया है जबकि इनके पास पूर्व से परमिट प्राप्त है। मेरे आपत्ति को सुनते हुए उचित कार्रवाई करने की कृपा की जाय।</p> <p>➤ तृतीय आपत्तिकर्ता श्री आशुतोष चन्द्र चौधरी, वाहन सं०—BR11T-9218 का कहना है कि आवेदनकर्ता द्वारा दिये गये प्रस्तावित समय—सारणी मेरे वाहन के निर्गत परमिट के समय—सारणी के बीच निम्न टकराव है :-</p> <p style="text-align: center;">आवेदनकर्ता आपत्तिकर्ता महेशखूंट प्र० 18:04 18:06</p> <p>वाहन सं०—BR34P-7120 महेशखूंट में मेरे वाहन सं०—BR11T-9218 के निर्गत समय—सारणी से मात्र 02 मिनट आगे खुलती है। जबकि प्राधिकार के निर्णय के अनुसार निर्गत परमिट के पीछे का समय—सारणी का प्रस्ताव दिया गया है।</p> <p>महोदय प्राधिकार के नियमानुसार निर्गत परमिट और ओवरटेकिंग नहीं होना चाहिए जो कि आवेदनकर्ता के द्वारा ऐसा नहीं किया गया है। इस तरह से करने के कारण हमलोग वाहन स्वामी 29.10.2025 की बैठक में आवेदन दिया कि हमलोगों को आर्थिक नुकसान पहुँचाने के लिए जान बूझकर ऐसा करते हैं जिस पर प्राधिकार ने इन्हें इस प्रकार के कृत्य की पुनरावृत्ति नहीं की जाय नहीं तो उचित कार्रवाई की जायेगी। इस बार भी प्राधिकार के निर्णय के खिलाफ आवेदन किया गया है जिससे हमलोगों को आर्थिक नुकसान पहुँचाने के उद्देश्य से किया गया है जबकि इनके पास पूर्व से परमिट प्राप्त है। मेरे आपत्ति को सुनते हुए उचित कार्रवाई करने की कृपा की जाय।</p> <p>➤ चतुर्थ आपत्तिकर्ता श्रीमती रेणु देवी,</p>	<p>है।</p> <p>➤ सप्तम आपत्तिकर्ता के निर्गत परमिट के समय—सारणी से आवेदन—कर्ता के संशोधित समय—सारणी के मध्य बिन्दु बेलदौर में प्रस्थान समय क्रमशः 05:42 एवं 10:58 पर, मध्य बिन्दु उसराहा में प्रस्थान समय क्रमशः 06:13 एवं 10:13, पर तथा महेशखूंट में प्रस्थान समय 09:33 पर टकराव नहीं है।</p> <p>➤ उपर्युक्त वर्णित सभी आपत्तिकर्ताओं द्वारा परमिट आवेदन पर ओवरटेक से संबंधित मामले संज्ञान में लाया गया है तथा आवेदनकर्ता को समय—सारणी संशोधन समर्पित करने हेतु प्राधिकार की बैठक दिनांक—31.01.2026 में एक मौका दिया जा चुका है। अतएव परमिट आवेदन अस्वीकृत किया जाता है। आपत्तिकर्ता के वाहन संख्या BR19P-1266, BR11PD-9318, BR34P-7120, BR11T-9218, BR34P-6415, BR34P-6292, BR19C-7207, BR10PA-3214 जिला परिवहन पदाधिकारी, खगड़िया से V.L.T.D एवं वाहन का परिचालन ससमय किया जा रहा है या नहीं के संबंध में जाँच प्रतिवेदन प्राप्त किया जाय।</p>
--	--	--	--	--	---	---

अपर समाहर्ता—सह—सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त—सह—सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

				<p>वाहन सं०-BR34P-6415 का कहना है कि आलमनगर से 13:29 मिनट पर खुलती है एवं बेलदौर से 14:22 बजे खुलती है। जबकि BR34P-7120 आलमनगर से 13:45 खुल कर बेलदौर से 14:15 पर मेरे वाहन के आगे खुलती है। जो समय-सारणी में ओवरटेकिंग संबंधित है। जिससे मुझे आर्थिक क्षति होगी एवं प्राधिकार के नियम के विरुद्ध है :-</p> <p>आवेदनकर्ता आपत्तिकर्ता</p> <table border="0"> <tr> <td>आलमनगर प्र०</td> <td>13:45</td> <td>13:29</td> </tr> <tr> <td>बेलदौर प्र०</td> <td>14:15</td> <td>14:22</td> </tr> </table> <p>अतः श्रीमान् से निवेदन हे कि प्रस्तावित समय-सारणी का आवेदन अस्वीकृत करने की कृपा की जाय।</p> <p>➤ पंचम आपत्तिकर्ता श्री कृष्ण मोहन, वाहन सं०-BR34P-6292 का कहना है कि आवेदनकर्ता द्वारा निर्गत परमिट पर निम्न ओवरटेकिंग है :-</p> <p>आवेदनकर्ता आपत्तिकर्ता</p> <table border="0"> <tr> <td>खगड़िया प्र०</td> <td>08:38</td> <td>08:43</td> </tr> <tr> <td>महेशखूंट प्र०</td> <td>09:33</td> <td>09:27</td> </tr> </table> <p>वाहन सं०-BR34P-7120</p> <p>खगड़िया 08:38 मेरी वाहन सं०-BR34P-6292 के 08:43 के आगे खुलती है। महेशखूंट में ओवरटेकिंग मेरे वाहन सं०-BR34P-6292 के निर्गत समय-सारणी 09:27 के पीछे वाहन सं०-BR34P-7120 09:33 खुलती है। इस प्रकार खगड़िया से महेशखूंट तक मेरे वाहन के समय-सारणी को प्रभावित करते हुए महेशखूंट में मेरे वाहन के पीछे जाकर मेरे भाई की गाड़ी के आगे समय-सारणी का प्रस्ताव दिया गया है।</p> <p>महोदय प्राधिकार के नियमानुसार निर्गत परमिट और ओवरटेकिंग नहीं होना चाहिए जो कि आवेदनकर्ता के द्वारा ऐसा नहीं किया गया है। इस तरह से करने के कारण हमलोग वाहन स्वामी 29.10.2025 की बैठक में आवेदन दिया कि हमलोगों को आर्थिक नुकसान पहुँचाने के लिए जान बूझकर ऐसा करते हैं जिस पर प्राधिकार ने इन्हें इस प्रकार के कृत्य की पुनरावृत्ति नहीं की जाय नही तो उचित कार्रवाई की जायेगी। इस बार भी प्राधिकार के निर्णय के खिलाफ आवेदन किया गया है जिससे हमलोगों को आर्थिक नुकसान पहुँचाने</p>	आलमनगर प्र०	13:45	13:29	बेलदौर प्र०	14:15	14:22	खगड़िया प्र०	08:38	08:43	महेशखूंट प्र०	09:33	09:27
आलमनगर प्र०	13:45	13:29														
बेलदौर प्र०	14:15	14:22														
खगड़िया प्र०	08:38	08:43														
महेशखूंट प्र०	09:33	09:27														

अपर समाहर्ता-सह-सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

के उद्देश्य से किया गया है जबकि इनके पास पूर्व से परमिट प्राप्त है। मेरे आपत्ति को सुनते हुए उचित कारवाई करने की कृपा की जाय।

➤ छठे आपत्तिकर्ता श्री अखिलेश मिश्रा, वाहन सं०-BR19C-7207 का कहना है कि आवेदनकर्ता द्वारा दिये गये प्रस्तावित समय-सारणी मेरे वाहन के निर्गत परमिट के समय-सारणी के बीच निम्न टकराव है :-

आवेदनकर्ता	आपत्तिकर्ता
खगड़िया प्र० 16:46	16:49
वाहन सं०-BR34P-7120	खगड़िया में मेरे स्वीकृत समय वाहन सं०-BR19C-7207 के समय से मात्र 03 मिनट आगे खुलकर महेशखूंट में मेरे वाहन से पीछे हो जाती है। प्राधिकार के निर्णय 28.11.2024 के अनुसार मैंने 02 बिन्दु का सुधार चालान जमा कर दिया हूँ।

महोदय प्राधिकार के नियमानुसार निर्गत परमिट और ओवरटेकिंग नहीं होना चाहिए जो कि आवेदनकर्ता के द्वारा ऐसा नहीं किया गया है। इस तरह से करने के कारण हमलोग वाहन स्वामी 29.10.2025 की बैठक में आवेदन दिया कि हमलोगों को आर्थिक नुकसान पहुँचाने के लिए जान बूझकर ऐसा करते हैं जिस पर प्राधिकार ने इन्हें इस प्रकार के कृत्य की पुनरावृत्ति नहीं की जाय नही तो उचित कार्रवाई की जायेगी। इस बार भी प्राधिकार के निर्णय के खिलाफ आवेदन किया गया है जिससे हमलोगों को आर्थिक नुकसान पहुँचाने के उद्देश्य से किया गया है जबकि इनके पास पूर्व से परमिट प्राप्त है। मेरे आपत्ति को सुनते हुए उचित कारवाई करने की कृपा की जाय।

➤ सप्तम आपत्तिकर्ता श्री अखिलेश मिश्रा, वाहन सं०-BR10PA-3214 का कहना है कि आवेदनकर्ता द्वारा दिये गये प्रस्तावित समय-सारणी मेरे वाहन के निर्गत परमिट के समय-सारणी के बीच निम्न टकराव एवं ओवरटेकिंग है :-

	आवेदनकर्ता	आपत्तिकर्ता
बेलदौर प्र०	05:42	05:44
इसराहा प्र०	06:13	06:15
महेशखूंट प्र०	09:33	09:35
इसराहा प्र०	10:13	10:15

अपर समाहर्ता-सह-सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

				<p>बेलदौर प्रो 10:58 11:00 वाहन सं०—BR34P-7120 आलमनगर से मेरी वाहन सं०— BR10PA-3214 के निर्गत समय— सारणी 04:47 बजे के पीछे 04:50 बजे खुलती है इसे ओवरटेकिंग करते हुए मेरे निर्गत परमिट बेलदौर, इसराहा (05:44—06:15) के आगे बेलदौर में 05:44 के आगे 05:42 तथा इसराहा में 06:15 के आगे 06:13 प्रस्तावित समय —सारणी दिया गया है। इसके साथ ही खगड़िया से मेरी वाहन 08:52 खुलती है जबकि वाहन सं०—BR34P- 7120 के आगे 08:38 बजे खुलती है और महेशखूंट में मेरे वाहन सं०— BR10PA-3214 के 09:35 बजे के आगे मात्र 02 मिनट पहले खुलती है। इसराहा में मेरी गाड़ी 10:15 के आगे 10:13 बजे और बेलदौर में 11:00 बजे के आगे 10:58 बजे खुलती है। महोदय प्राधिकार के नियमानुसार निर्गत परमिट और ओवरटेकिंग नहीं होना चाहिए जो कि आवेदनकर्ता के द्वारा ऐसा नहीं किया गया है। इस तरह से करने के कारण हमलोग वाहन स्वामी 29.10.2025 की बैठक में आवेदन दिया कि हमलोगों को आर्थिक नुकसान पहुँचाने के लिए जान बूझकर ऐसा करते हैं जिस पर प्राधिकार ने इन्हें इस प्रकार के कृत्य की पुनरावृत्ति नहीं की जाय नही तो उचित कार्रवाई की जायेगी। इस बार भी प्राधिकार के निर्णय के खिलाफ आवेदन किया गया है जिससे हमलोगों को आर्थिक नुकसान पहुँचाने के उद्देश्य से किया गया है जबकि इनके पास पूर्व से परमिट प्राप्त है। मेरे आपत्ति को सुनते हुए उचित कार्रवाई करने की कृपा की जाय।</p>		
4	30/34	<p>BR09PA-9218 (30.07.2019) श्री अमरेन्द्र कुमार, पिता—गणेश चौधरी, पता—कुरसंडी, जिला—मधेपुरा।</p>	<p>प्रकाशन—31.12.25 अधिसूचित मार्ग संख्या—3045 डाउन, खगड़िया से आलमनगर। भाया—महेशखूंट, उसराहा (इसराहा), सोनवर्षाघाट एवं बेलदौर। ट्रिप—03 (03 अप 03 डाउन)</p>	<p>टैक्स—24.01.26 / 24.04.2026 फिटनेश—21.08.27 बीमा—03.11.26 प्रदूषण—02.11.26</p>	<p>अप्राप्त</p>	<p>आपत्ति अप्राप्त अतः परमिट आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।</p>

अपर समाहर्ता—सह—सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त—सह—सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

5	31/27	BR43P-1809 (05.04.2013) श्री नीरज कुमार सिंह, पिता- श्री नेपो सिंह, पता-खम्हर, मु०, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-31.12.25 अधिसूचित मार्ग संख्या-3154, शकरपुरा से बेगूसराय। भाया-बखरी एवं मंझौल। ट्रिप-03 (03 अप 03 डाउन)	टैक्स-19.03.26 फिटनेश-27.12.26 बीमा-03.12.26 प्रदूषण-07.12.26	<p>➤ आपत्तिकर्ता श्री अजीत कुमार, वाहन सं०-BR34G-0110 का कहना है कि प्राधिकार की बैठक में वाहन सं०-BR43P-1809 के सुनवाई के दौरान टकराव के बिन्दु पर संशोधित समय-सारणी समर्पित करने का आदेश प्राप्त है। प्राधिकार की बैठक 31.01.2026 के कार्यवाही की प्रति संलग्न है। प्राधिकार की बैठक में टकराव के बिन्दु 16:05 एवं मंझौल 20:01 पर टकराव था। जिससे मात्र मंझौल 20:01 में संशोधन दिया गया है जो प्राधिकार के निर्णय का उल्लंघन है। वाहन सं०-BR34G-0110 का मंझौल 16:05-16:05 Same समय है। संशोधन नहीं दिया गया है जो टकराव का बिन्दु है। टकराव होने की स्थिति में अप्रिय घटना घट सकती है। साथ ही साथ वाहन सं०-BR43P-1809 का व्हीलबेस 4200 है एवं बैटान क्षमता 33 निबंधन पुस्तिका में दर्ज है। वाहन स्वामी श्री नीरज कुमार सिंह के द्वारा वाहन सं०-BR34P-0110 एवं BR09R-0110 पर प्राधिकार की बैठक 31.01.2026 में आपत्ति व्हीलबेस 4900 एवं बैटान क्षमता 4900 होने का दावा किया गया है जो जाँच का विषय है। अतएव वाहन सं०-BR43P-1809 का भी जाँच करा लिया जाय। अतः श्रीमान् से नम्र निवेदन है कि वाहन सं०-BR43P-1809 के द्वारा प्राधिकार के निर्णय का अनुपालन नहीं किया गया है। साथ ही साथ व्हीलबेस का भी जाँच करा लिया जाय।</p>	<p>➤ आवेदनकर्ता का अधिसूचित मार्ग सं०-3154 शकरपुरा से बेगूसराय है तथा आपत्तिकर्ता अधिसूचित मार्ग सं०-3015 डाउन पर बेगूसराय से अलौली है। आवेदनकर्ता द्वारा परमिट आवेदन वापस ले लिया गया है। अतएव आवेदनकर्ता के वाहन का व्हीलबेस 4200 MM है जबकि ऑनर बुक में दर्ज बैटान क्षमता 41 है। व्हीलबेस 4200 MM में बैटान क्षमता 33 होना चाहिए या इससे अधिक पर जिला परिवहन पदाधिकारी, मधेपुरा से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त किया जाय।</p>
6	32/12	BR09PA-9206 (25.06.2024) श्रीमती कुमकुम देवी पति-श्री अजीत कुमार पता-पहसारा, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-31.12.25 अधिसूचित मार्ग संख्या-3225, भागलपुर रोस्टे० से बेगूसराय। भाया-भागलपुर डीपो, भागलपुर जीरोमाईल, नौगछिया जीरोमाईल, थाना बिहपुर, नारायणपुर, पसराहा, महेशखूंट, मानसी, खगड़िया एवं बलिया। ट्रिप-02 (02 अप 02 डाउन)	टैक्स-24.12.25 / 24.03.2026 फिटनेश-24.06.26 बीमा-28.04.26 प्रदूषण-27.06.26	<p>➤ आपत्तिकर्ता श्री संजय कुमार, वाहन सं०-BR10P-7279 का कहना है कि आवेदनकर्ता द्वारा दिये गये संशोधित समय-सारणी मेरे वाहन के निर्गत परमिट के समय-सारणी के बीच निम्न टकराव है :- आवेदनकर्ता आपत्तिकर्ता बलिया प्र० 07:56 07:57 मध्य बिन्दु पर दोनों वाहन के समय-सारणी में एक मिनट का टकराव है। आवेदनकर्ता को समय-सारणी संशोधन का एक मौका मिल चुका है। आवेदनकर्ता के आवेदन को रद्द करने की कृपा की जाय।</p>	<p>➤ आवेदनकर्ता एवं आपत्तिकर्ता का अधिसूचित मार्ग सं०-3225 भागलपुर रेलवे स्टेशन से बेगूसराय से है। आपत्तिकर्ता के निर्गत परमिट के समय-सारणी से आवेदनकर्ता के संशोधित समय-सारणी के मध्य बिन्दु बलिया में प्रस्थान समय 07:56 पर टकराव है। अतएव आवेदनकर्ता के परमिट आवेदन के समय-सारणी में प्रथम एवं द्वितीय ट्रिप काटकर तृतीय एवं चतुर्थ ट्रिप पर परिचालन हेतु परमिट की स्वीकृति दिया जाता है।</p>

अपर समाहर्ता-सह-सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

7	33/41	<p>BR10PC-2647 (26.03.2025) B.S.R.T.C पता-तिलकामांझी गर्ल्मेन्ट बस स्टैण्ड, बरारी, जिला-भागलपुर।</p>	<p>प्रकाशन-31.12.25 अधिसूचित मार्ग संख्या-3219 डाउन, चकाई से मुंगेर। भाया-सोनो, जमुई, मलयपुर एवं खड़पुर। ट्रिप-01 (01 अप 01 डाउन)</p>	<p>टैक्स-25.03.26 फिटनेश-25.03.27 बीमा-N/A प्रदूषण-25.03.26</p>	<p>➤ प्रथम आपत्तिकर्ता श्री राणा संजय, वाहन सं०-BR46P-8807 का कहना है कि पूर्व में भी आपत्ति दिये गये पर श्रीमान् का संशोधित समय-सारणी का आदेश दिया था। लेकिन वाहन सं०-BR10PC-2647 के द्वारा कुछ इस प्रकार समय का संशोधित समय-सारणी जो दिये हैं। मुझे इस पर आपत्ति करते हुए कहना है कि मैं BR46P-8807 मलयपुर पड़ाव पर इनके आगमन से पहले मेरा आगमन है लेकिन ये बाद आगमन कर पहले ही प्रस्थान कर मात्र 02 मिनट का अन्तराल कर प्रस्थान करते हैं। इस बीच उक्त पड़ाव के महज 500 मीटर की दूरी पर रेल का फाटक (रेलवे क्रॉसिंग) है। ऐसी स्थिति में प्रतिदिन दोनों वाहनों के बीच नॉक-ड्रॉक तथा वाहनों का परिचालन ससमय पर नहीं हो पायेगा। इसलिए मेरा कहना है कि मेरे वाहनों का पड़ाव 06:30 पूर्व से ही है। कृपया इन्हें 06:28 के जगह और आगे समय बढ़ाने का निर्देश दिया जाय ताकि दोनों वाहन का ससमय पर परिचालन हो सके। क्योंकि रेलवे फाटक 20 से 30 बन्द होने के बाद ही खुलती है। अतः श्रीमान् से आग्रह है कि इनके द्वारा पूर्व में मलयपुर का प्रस्थान 06:30 दिया गया था जो दोनों वाहनों का प्रस्थान समय एक ही है।</p> <p>➤ द्वितीय आपत्तिकर्ता श्री अमित कुमार, वाहन सं०-BR08P-9317 का कहना है कि आवेदनकर्ता द्वारा दिये गये संशोधित समय-सारणी मेरे वाहन के निर्गत परमिट के समय-सारणी के बीच निम्न टकराव है :-</p> <p>आवेदनकर्ता आपत्तिकर्ता खड़गपुर प्र० 07:55 07:58 आवेदनकर्ता का वाहन 07:35 में खड़गपुर आगमन कर 07:55 में प्रस्थान करती है। आपत्तिकर्ता 07:28 में खड़गपुर आगमन कर 07:58 में प्रस्थान करते हैं। आवेदनकर्ता आपत्तिकर्ता के समय-सारणी से 03 मिनट पहले खड़गपुर से प्रस्थान करते हैं तथा मुंगेर 09:20 में आगमन करते हैं। आपत्तिकर्ता का वाहन मुंगेर 09:05 में आगमन करती है। आवेदनकर्ता आपत्तिकर्ता के वाहन के</p>	<p>➤ आवेदनकर्ता का अधिसूचित मार्ग सं०-3219 डाउन चकाई से मुंगेर है, प्रथम आपत्तिकर्ता का अधिसूचित मार्ग सं०-1750 डाउन जमुई से अमरपुर है तथा द्वितीय आपत्तिकर्ता का मार्ग MPPY1186 पर टेटियाबम्बर से मुंगेर है। आवेदनकर्ता, प्रथम एवं द्वितीय आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या भिन्न है। अतएव आपत्तिकर्ता द्वारा परमिट आवेदन पर ओवरटेक से संबंधित मामले संज्ञान में लाया गया है। अतः परमिट आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।</p>
---	-------	--	---	---	---	--

अपर समाहर्ता-सह-सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

					समय-सारणी को ओभरटेक कर रहे हैं। आपत्तिकर्ता का वाहन मुख्यमंत्री प्रखण्ड परिवहन योजना के अन्तर्गत परिचालन करती है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम का वाहन बिना परमिट के मार्ग पर मुख्यमंत्री प्रखण्ड परिवहन योजना के वाहन के आगे-आगे परिचालन करती है। इस संबंध में पूर्व में जिला परिवहन पदाधिकारी को आवेदन दिया गया है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा बिना परमिट के मुख्यमंत्री प्रखण्ड परिवहन योजना के वाहन सं०-BR08P-9317 के समय-सारणी के आगे एवं पीछे वाहन का परिचालन करते हैं।	
8	34/45	BR10PC-2645 (26.03.2025) B.S.R.T.C पता-तिलकामांझी गर्ल्समेन्ट बस स्टैण्ड, बरारी, जिला-भागलपुर।	प्रकाशन-31.12.25 अधिसूचित मार्ग संख्या-3219 डाउन, चकाई से मुंगेर। भाया-सोनो, जमुई, मलयपुर एवं खड़पुर। ट्रिप-01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स-25.03.26 फिटनेश-25.03.27 बीमा-N/A प्रदूषण-25.03.26	अप्राप्त	आपत्ति अप्राप्त अतः परमिट आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।
9	35/47	BR10PC-2646 (26.03.2025) B.S.R.T.C पता-तिलकामांझी गर्ल्समेन्ट बस स्टैण्ड, बरारी, जिला-भागलपुर।	प्रकाशन-31.12.25 अधिसूचित मार्ग संख्या-3219 डाउन, चकाई से मुंगेर। भाया-सोनो, जमुई, मलयपुर एवं खड़पुर। ट्रिप-01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स-25.09.25 फिटनेश-25.03.27 बीमा-N/A प्रदूषण-25.03.26	अप्राप्त	आपत्ति अप्राप्त अतः परमिट आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।

कार्यावली संख्या - 02

(स्थायी परमिट)

आपत्ति प्राप्त एवं अप्राप्त नया आवेदन

क्र० सं०	आवेदन क्रमांक	वाहन सं०/निबंधन की तिथि, आवेदक का नाम एवं पता	आवेदित मार्ग/दूरी एवं प्रतिदिन की जाने वाली ट्रिपों की सं० एवं कुल दूरी	वाहन के कागजात की स्थिति	आपत्ति	प्राधिकार का निर्णय
10	1	BR34P-3549 (21.06.2016) श्री राजन कुमार, पिता- श्री नीरज कुमार सिंह पता-खम्हर, मु०, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-14.02.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3181 डाउन, बेगूसराय से बखरी। भाया-मंझौल ट्रिप-04 (04 अप 04 डाउन)	टैक्स-20.03.26 फिटनेश-26.03.26 बीमा-24.03.26 प्रदूषण-24.03.26	➤ आपत्तिकर्ता श्रीमती बुलबुल देवी, वाहन सं०-BR09PA-8538 का कहना है कि आवेदनकर्ता द्वारा आवेदन मार्ग बेगूसराय से बखरी पर किया गया है। प्राधिकार के निर्णय मुताबिक मार्ग संख्या भिन्न होने के कारण वाहन आपत्तिकर्ता का आपत्ति मान्य नहीं होगा तथा आपत्तिकर्ता एवं आवेदनकर्ता के समय-सारणी के बीच निम्न टकराव है :-	➤ आवेदनकर्ता का अधिसूचित मार्ग सं०-3181 डाउन बेगूसराय से बखरी है तथा आपत्तिकर्ता का अधिसूचित मार्ग सं०-3015 अलौली से बेगूसराय है। आवेदनकर्ता द्वारा परमिट आवेदन वापस ले लिया गया है। अतएव आवेदनकर्ता के वाहन का व्हीलबेस 4200 MM है जबकि ऑनर बुक में दर्ज बैटान क्षमता 33

अपर समाहर्ता-सह-सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

					<p>आवेदनकर्ता आपत्तिकर्ता बखरी प्र० 16:53 16:55 मंजौल प्र० 17:38 17:40 जबकि ओम्परेक का मामला है। आवेदनकर्ता के वाहन का बखरी प्रस्थान 16:53 है एवं मंजौल 17:36 में पीछे पहुँचते हैं। आगे खुलकर पीछे होना सही नहीं है, आगे खुलने के बाद मंजौल आगे पहुँचना है जबकि मंजौल पीछे पहुँचकर आगे 17:38 में खुल जाते हैं। जिसे रास्ते में गाड़ी के बीच विवाद होगा जिससे विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होगा। साथ ही साथ आवेदनकर्ता का व्हीलबेस 4200 है एवं निबंधन पुस्तिका में बैठान क्षमता 33 दर्ज है। क्योंकि आवेदनकर्ता श्री नीरज कुमार सिंह आवेदक के पिता के द्वारा प्राधिकार की बैठक 31.01.2026 में वाहन सं०-BR34P-0110 एवं BR09R-0110 पर व्हीलबेस 4900 बैठान क्षमता 49 सीट होना चाहिए संबंधित आपत्ति लगाया गया है। अतएव आवेदित वाहन सं०- BR34P- 3549 का व्हीलबेस जॉच एवं ओम्परेक के बाद ही आवेदन पर विचार किया जाय। अतः श्रीमान् से नम्र निवेदन है कि वाहन सं०-BR34P-3549 के बाद पर व्हीलबेस जॉच के बाद ही निर्णय लिया जाय एवं ओम्परेक का भी जॉच कर लिया जाय।</p>	<p>दर्ज है। व्हीलबेस 4200 MM में बैठान क्षमता 33 होना चाहिए या इससे अधिक पर जिला परिवहन पदाधिकारी, भागलपुर से जॉच प्रतिवेदन प्राप्त किया जाय।</p>
11	2	<p>BR09PB-6313 (22.01.2026) श्री यशवंत कुमार पिता- श्री मनोज कुमार, पता-तिलक नगर स्टेशन रोड, जिला-बेगुसराय।</p>	<p>प्रकाशन-14.02.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3225 डाउन, बेगूसराय से भागलपुर रोस्टे०। भाया-बलिया, खगड़िया, मानसी, महेशखूंट, पसराहा, नारायणपुर, थाना बिहपुर, नौगछिया जीरोमाईल एवं भागलपुर जीरोमाईल। ट्रिप-01 (01 अप 01 डाउन)</p>	<p>टैक्स-13.04.26 फिटनेश-21.01.28 बीमा-13.01.27 प्रदूषण-21.01.27</p>	<p>अप्राप्त</p>	<p>आपत्ति अप्राप्त अतः परमिट आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।</p>

अपर समाहता-सह-सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

12	3	BR09PB-4513 (22.01.2026) श्री चुनचुन सिंह, पिता- श्री मनोज कुमार, पता-तिलक नगर स्टेशन रोड, जिला-बेगुसराय।	प्रकाशन-14.02.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3225 डाउन, बेगूसराय से भागलपुर रोस्टे0। भाया-बलिया, खगड़िया, मानसी, महेशखुंट, पसरहा, नारायणपुर, थाना बिहपुर, नौगछिया जीरोमाईल एवं भागलपुर जीरोमाईल। ट्रिप-01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स-13.04.26 फिटनेश-21.01.28 बीमा-13.01.27 प्रदूषण-21.01.27	अप्राप्त	आपत्ति अप्राप्त अतः परमिट आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।
13	4	BR21P-3674 (28.03.2018) श्री रूपेश कुमार, पिता- श्री संजय कुमार, पता-शकलदेव नगर कुसेरी, बरबीघा फाजाबाद, जिला-शेखपुरा।	प्रकाशन-14.02.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-2948, मधरा से मुंगेर। भाया-बिहारशरीफ, रामचन्द्रपुर, बरबीघा, शेखपुरा स्टेशन, गिरिहिण्डा, लखीसराय स्टेशन, विद्यापीठ एवं सूर्यगढ़ा। ट्रिप-01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स-07.05.26 फिटनेश-24.04.26 बीमा-09.02.27 प्रदूषण-25.08.26	➤ आपत्तिकर्ता श्रीमती बिमला देवी, वाहन सं0-BR21PA-0315 का कहना है कि आवेदनकर्ता द्वारा दिये गये प्रस्तावित समय-सारणी मेरे वाहन के निर्गत परमिट के समय -सारणी के बीच निम्न टकराव है :- आवेदनकर्ता आपत्तिकर्ता बरबीघा प्र0 17:18 17:15 बरबीघा में दोनों वाहन के समय-सारणी में 03 मिनट का अन्तराल है। आवेदनकर्ता पूर्व का परमिट प्रत्यापण नहीं किये हैं। बरबीघा आपत्तिकर्ता का मुख्य बिन्दु है।	➤ आवेदनकर्ता का अधिसूचित मार्ग सं0-2948 मधरा से मुंगेर है तथा आपत्तिकर्ता का अधिसूचित मार्ग सं0-5183 बरबीघा से बिहारशरीफ पटना है। आवेदनकर्ता तथा आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या भिन्न है। आवेदनकर्ता द्वारा दिनांक-10.02. 2026 को क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, पटना प्रमण्डल, पटना में परमिट प्रत्यापण किया गया है जिसकी प्रति विहित प्रपत्र के साथ कार्यालय में जमा किया गया है। अतएव परमिट आवेदन स्वीकृत किया जाता है।
14	5	BR21P-7674 (26.06.2021) श्री रूपेश कुमार, पिता- श्री संजय सिंह, पता-शकलदेव नगर कुसेरी, बरबीघा फाजाबाद, जिला-शेखपुरा।	प्रकाशन-14.02.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-2948, मधरा से मुंगेर। भाया-बिहारशरीफ, रामचन्द्रपुर, बरबीघा, शेखपुरा स्टेशन, गिरिहिण्डा, लखीसराय स्टेशन, विद्यापीठ एवं सूर्यगढ़ा। ट्रिप-01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स-26.03.26 फिटनेश-01.09.27 बीमा-05.02.27 प्रदूषण-07.11.26	➤ आपत्तिकर्ता श्री संतोष कुमार, वाहन सं0-BR21K-3071 का कहना है कि आवेदनकर्ता का पूर्व का परमिट शेखपुरा से पटना मार्ग पर निर्गत है। आवेदनकर्ता परमिट को प्रत्यापण किये बिना आवेदन किये हैं। आवेदनकर्ता प्राधिकार के निर्णय के विरुद्ध आवेदन किये हैं।	➤ आवेदनकर्ता का अधिसूचित मार्ग सं0-2948 मधरा से मुंगेर है तथा आपत्तिकर्ता का मार्ग वाहन परमिट पोर्टल पर अदृश्य है। आवेदनकर्ता तथा आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या भिन्न है। आवेदनकर्ता द्वारा दिनांक- 10.02.2026 को क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, पटना प्रमण्डल, पटना में परमिट प्रत्यापण किया गया है जिसकी प्रति विहित प्रपत्र के साथ कार्यालय में जमा किया गया है। अतएव परमिट आवेदन स्वीकृत किया जाता है।
15	6	BR09PA-9500 (19.08.2019) श्री बिनय कुमार, पिता-श्री कैलाश सिंह, पता-मोहनपुर, मु0, जिला-बेगुसराय।	प्रकाशन-14.02.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3182, नारायण पिपर से बेगूसराय। भाया-कुम्भी, खंजापुर, बरियारपुर एवं मंझौल। ट्रिप-03	टैक्स-07.05.26 फिटनेश-01.09.27 बीमा-10.09.26 प्रदूषण-13.09.26	अप्राप्त	आपत्ति अप्राप्त अतः परमिट आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।

अपर समाहर्ता-सह-सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

		(03 अप 03 डाउन)				
16	7	BR21PA-0198 (21.11.2024) श्री जितेन्द्र कुमार, पिता- श्री राम प्रवेश यादव, पता-काशोचक, नकटपुरा, जिला-नालंदा।	प्रकाशन-14.02.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-2948, मधरा से मुंगेर। भाया-बिहारशरीफ, रामचन्द्रपुर, बरबीघा, शेखपुरा स्टेशन, गिरिहिण्डा, लखीसराय स्टेशन, विद्यापीठ एवं सूर्यगढ़ा। ट्रिप-01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स-08.06.26 फिटनेस-20.11.26 बीमा-08.09.26 प्रदूषण-21.11.26	<p>➤ प्रथम आपत्तिकर्ता श्री रामानुज प्रसाद सिंह, वाहन सं0-BR21G-7965 का कहना है कि आवेदनकर्ता द्वारा दिये गये प्रस्तावित समय-सारणी मेरे वाहन के निर्गत परमिट के समय-सारणी के बीच निम्न टकराव है :-</p> <p>आवेदनकर्ता आपत्तिकर्ता मुंगेर प्र0 11:14 11:15 बरबीघा में दोनों वाहन के समय-सारणी में मात्र 01 मिनट का अन्तराल मुंगेर में है। आवेदनकर्ता का मार्ग संख्या गलत है। मार्ग संख्या 2498 छितौना से बेतिया है। आवेदनकर्ता पूर्व का परमिट को प्रत्यापण किये बिना आवेदन किये हैं। राज्य परिवहन प्राधिकार के निर्णय के अनुसार मार्ग का पचास प्रतिशत भाग समान रहने पर आपत्ति स्वीकार किया जाता है।</p> <p>➤ द्वितीय आपत्तिकर्ता श्रीमती नीलम देवी, वाहन सं0-BR52A-8024 का कहना है कि आवेदनकर्ता द्वारा दिये गये प्रस्तावित समय-सारणी मेरे वाहन के निर्गत परमिट के समय-सारणी के बीच निम्न टकराव है :-</p> <p>आवेदनकर्ता आपत्तिकर्ता बिहारशरीफ प्र0 05:09 05:11 बरबीघा प्र0 06:48 06:51 शेखपुरा स्टे0 प्र0 07:23 07:26 गिरिहिण्डा प्र0 07:43 07:46 विद्यापीठ प्र0 08:58 09:00 विद्यापीठ प्र0 14:01 14:05 गिरिहिण्डा प्र0 14:58 15:01 शेखपुरा प्र0 15:06 15:08 बरबीघा प्र0 15:50 15:53</p> <p>आवेदनकर्ता ने अपने आवेदन में मार्ग संख्या 2498 का उल्लेख किया है। मार्ग संख्या 2498 छितौना से बेतिया है। आवेदनकर्ता का आवेदन त्रुटिपूर्ण है। आवेदनकर्ता पूर्व के परमिट का प्रत्यापण नहीं किये हैं तथा परमिट का आवेदन किये हैं। आवेदनकर्ता तथा आपत्तिकर्ता के समय-सारणी में टकराव है।</p>	<p>➤ आवेदनकर्ता का अधिसूचित मार्ग सं0-2948 मधरा से मुंगेर है, प्रथम आपत्तिकर्ता का अधिसूचित मार्ग सं0-226 नारदीगंज से मुंगेर है एवं द्वितीय आपत्तिकर्ता का अधिसूचित मार्ग सं0-223 नारदीगंज से मुंगेर है।</p> <p>आवेदनकर्ता तथा आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या भिन्न है। आवेदनकर्ता द्वारा दिनांक-10.02.2026 को क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, पटना प्रमण्डल, पटना में परमिट प्रत्यापण किया गया है जिसकी प्रति विहित प्रपत्र के साथ कार्यालय में जमा किया गया है। साथ ही आवेदनकर्ता द्वारा एक आवेदन समर्पित कर अनुरोध किया गया है कि प्रस्तावित समय-सारणी में मार्ग सं0-2948 के स्थान पर 2498 टंकण भूलवश हो गया है। कार्यालय स्तर से इसकी जांच की गई तो पाया गया कि आवेदनकर्ता द्वारा मार्ग सं0-2948 पर ही परमिट आवेदन किया गया है। अतएव परमिट आवेदन स्वीकृत किया जाता है।</p>

अपर समाहर्ता-सह-सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

17	8	BR34P-4645 (24.11.2018) श्रीमती रीना कुमारी, पति- स्व0 राम संजीव कुमार, पता-मोहनपुर, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-14.02.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3109, सिहम से बेगूसराय। भाया-कचहरी रामपुर, बख्खडडा, नारायण पिपर, कुम्भी, श्रीपुर, चैरिया, बरियारपुर एवं मंझील। ट्रिप-02 (02 अप 02 डाउन)	टैक्स-23.05.26 फिटनेश-26.03.27 बीमा-19.11.26 प्रदूषण-23.03.26	अप्राप्त	आपति अप्राप्त अतः परमिट आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।
18	9	BR21P-7854 (26.08.2021) श्री विकास कुमार, पिता-श्री शिवराज प्रसाद शर्मा, पता-सारे, जिला-नालंदा।	प्रकाशन-14.02.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3221 डाउन, खैरा से मघरा। भाया-जमुई, सिकन्दरा, चैबारा, गिरिहिण्डा, शेखपुरा, बरबीघा, रामचन्द्रपुर एवं बिहारशरीफ। ट्रिप-01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स-29.04.26 फिटनेश-18.12.27 बीमा-08.08.26 प्रदूषण-23.10.26	अप्राप्त	आपति अप्राप्त अतः परमिट आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।
19	10	BR46P-9317 (03.02.2026) श्री अमित कुमार, पिता-श्री मंदू कुमार सिंह, पता-मिल्की गंगटामोड, खडगपुर, जिला-मुंगेर।	प्रकाशन-14.02.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3219 डाउन, चकाई से मुंगेर। भाया-सोनो, जमुई, मलयपुर एवं खडगपुर। ट्रिप-01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स-29.04.26 फिटनेश-02.02.28 बीमा-29.01.27 प्रदूषण-02.02.27	<p>➤ आपतिकर्ता श्री राणा संजय, वाहन सं0-BR10GC-8807 का कहना है कि उक्त वाहन का मार्ग 3219 पर चकाई से मुंगेर का स्थायी परमिट धारक हूँ। मेरे द्वारा आवेदन संख्या 10 जो आवेदक अमित कुमार वाहन सं0-BR46P-9317 जो चकाई से मुंगेर उक्त मार्ग संख्या पर भाया-सोनो, जमुई, मलयपुर एवं खडगपुर मार्ग पर आपति करता हूँ।</p> <p>1. आपतिकर्ता राणा संजय का वाहन सं0-BR10GC-8807 का मलयपुर में पड़ाव पर 05:25 बजे आगमन है तथा प्रस्थान 05:49 है। वही आवेदन सं0-10 वाहन BR46P-9317 जो मलयपुर पड़ाव पर 05:32 आगमन कर 05:41 में प्रस्थान करने का समय दिया है। इस पर मेरा आपति है। इस पड़ाव पर समय अनुरूप पहले मेरा आगमन है। वही आवेदक द्वारा नियम का उल्लंघन कर रहे हैं। क्योंकि मेरे आगमन के बाद उनकी वाहन का आगमन होता है और पहले प्रस्थान कर जाते हैं जबकि चकाई से मेरे वाहन के प्रस्थान के बाद 10 मिनट बाद इनका प्रस्थान है। ऐसे</p>	<p>➤ आवेदनकर्ता एवं आपतिकर्ता का अधिसूचित मार्ग सं0-3219 डाउन चकाई से मुंगेर है। आवेदनकर्ता तथा आपतिकर्ता का मार्ग संख्या समान है। अतएव आपतिकर्ता द्वारा परमिट आवेदन पर ओवरटेक से संबंधित मामले संज्ञान में लाया गया है। अतएव आवेदनकर्ता को अगली बैठक में ओवरटेक से संबंधित संशोधित समय-सारणी समर्पित करने हेतु एक मौका दिया जाता है।</p>

अपर समाहर्ता-सह-सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

				<p>स्थिति में वाहनों का ओवरटेक करना नियम के विरुद्ध माना जाता है। साथ ही यह जानबुझ कर मेरे वाहन को आर्थिक क्षति पहुँचाना चाहते हैं। इस पर विचार किया जाय।</p> <p>2. इतना ही नहीं इनकी मंशा गलत नियत है क्योंकि एक और परमिट मेरे वाहन के पीछे लेकर मेरे वाहनों खासकर मलयपुर, खड़गपुर तथा मुंगेर के पड़ाव पर अपने वाहन को आगे पीछे समय-सारणी कर तंग तबाह तथा आर्थिक क्षति पहुँचाना चाहते हैं।</p> <p>3. मंशा गलत साबित तब हो रही है जब इनके द्वारा दो वाहनों का पूर्व से परमिट लेकर उक्त मार्ग का लेकर रखा है लेकिन गौर तलब बात यह है तथा मेरे द्वारा कड़ी आपत्ति है की इन्होंने अब तक चर्काई जमुई पड़ाव कि ओर वाहन का परिचालन कराते नहीं है। ये सिर्फ मलयपुर रेलवे स्टेशन गंगटा, खड़गपुर तथा मुंगेर के बीच ही पड़ाव पर संचालन करते हैं। जबकि गंगटा मोड़ पड़ाव पर मार्ग सं०-3219 के अनुसार उक्त पड़ाव पर ठहराव नहीं बगल गॉव मिल्की के निवासी होने के कारण गंगटामोड़ पर दबंगता तथा भयाकान्त कर अपने मन के मौजी करते हैं। चर्काई जमुई पड़ाव की ओर नहीं जाने का तथा मात्र मलयपुर से मुंगेर परिचालन कर मलयपुर बायपास रोड स्थित पेट्रोल पम्प पर संध्या बेला खड़ा कर देते हैं तथा सुबह एक वाहन मलयपुर से एवं दूसरी वाहन गंगटामोड़ से मुंगेर की ओर खोल देते हैं। इसी क्रम में मेरे वाहन का आगे पीछे करते हैं जो श्रीमान् के द्वारा अपने अधिनस्त पदाधिकारी या कर्मियों द्वारा जॉच करा सकते हैं।</p> <p>अतः श्रीमान् से पुनः आग्रह है कि इस वाहन स्वामी अमित कुमार एवं सुमित कुमार, पिता श्री मन्दू</p>
--	--	--	--	--

अपर समाहर्ता-सह-सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

					सिंह, ग्राम मिल्की, पोस्ट-गंगटा, जिला-मुंगेर के वाहन सं0-BR10PC-9317, BR08P-9317, BR10PB-9317, BR46P-9317 एवं BR10Q-1073 का परमिट तथा परिचालन का जाँच कराने के उपरान्त ही इनके द्वारा दिये गये आवेदन पर विचार किया जाय ताकि हम इनके द्वारा पड़तारित हो रहे हैं से बच सकेंगे। श्रीमान् से नम्र निवेदन है कि सुमित कुमार एवं अमित कुमार का आवेदन पर किये गये हस्ताक्षर का जाँच किया जाय। मुझे आशंका है कि सुमित कुमार द्वारा अमित कुमार नाम का हस्ताक्षर किया गया है।	
20	11	BR53P-1081 (11.07.2019) श्री प्रिंस, पिता-श्री भागीरथ सिंह, पता-पुरानी बाजार, जिला-लखीसराय।	प्रकाशन-14.02.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3229, लखीसराय से सिकन्दरा। भाया-रामगढ़ एवं हलसी। ट्रिप-04 (04 अप 04 डाउन)	टैक्स-03.04.26 फिटनेश-20.11.27 बीमा-24.10.26 प्रदूषण-27.08.26	अप्राप्त	आपत्ति अप्राप्त अतः परमिट आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।
21	12	BR01PS-0021 (25.10.2025) श्री अमित कुमार, पिता-श्री मनोज कुमार सिंह, पता-नडियावन, रामगढ़ चौक, जिला-लखीसराय।	प्रकाशन-14.02.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3168, बिजुलिया से बेगूसराय । भाया-शाम्हो, सूर्यगढ़ा, लखीसराय, हथिदाह, बरोनी एवं जीरोमाईल। ट्रिप-02 (02 अप 02 डाउन)	टैक्स-17.04.26 फिटनेश-24.10.27 बीमा-17.10.26 प्रदूषण-24.10.26	अप्राप्त	आपत्ति अप्राप्त अतः परमिट आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।
22	13	BR53P-2522 (03.11.2014) श्री प्रिंस, पिता-श्री भागीरथ सिंह, पता-पुरानी बाजार, जिला-लखीसराय।	प्रकाशन-14.02.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3229, लखीसराय से सिकन्दरा। भाया-रामगढ़ एवं हलसी। ट्रिप-03 (03 अप 03 डाउन)	टैक्स-17.02.26 फिटनेश-21.01.27 बीमा-09.12.26 प्रदूषण-03.08.26	अप्राप्त	आपत्ति अप्राप्त अतः परमिट आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।
23	14	BR09PA-9540 (05.11.2024) श्री राहुल कुमार, पिता-श्री रामबालक सिंह, पता-डिहपुर जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-14.02.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-MPPY2031, सिंधिया घाट से बेगूसराय। भाया-हाड़ीचक, संजात, गाड़ा, नौला, मुजफ्फरा एवं बीरपुर बस स्टैंड, बीरपुर थाना चौक, पारा,	टैक्स-04.05.26 फिटनेश-04.11.26 बीमा-04.11.26 प्रदूषण-09.11.26	अप्राप्त	आपत्ति अप्राप्त अतः परमिट आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।

अपर समाहता-सह-सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

			फलकारी, कारीचक, बघवारा एवं पचन्बा। ट्रिप-02 (02 अप 02 डाउन)			
24	15	BR09PA-9431 (13.02.2019) श्रीमती आभा देवी, पति-राजकिशोर राय, पता-मटिहानी, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-14.02.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3189, अजनी से बेगूसराय। भाया-गढपुरा एवं मंडौल। ट्रिप-02 (02 अप 02 डाउन)	टैक्स-10.05.26 फिटनेश-22.02.27 बीमा-30.01.27 प्रदूषण-26.09.26	अप्राप्त	आपत्ति अप्राप्त अतः परमिट आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।
25	16	BR08P-5839 (18.11.2025) श्री पिकेश कुमार सिंह, पिता-तृपि नारायण सिंह, पता-नयागॉव, जोराबारपुर, परबत्ता, जिला-खगड़िया।	प्रकाशन-14.02.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3169, अगुवानी से बेगूसराय। भाया-कबैला, नयागॉव, परबत्ता, मरैया, जमालपुर, महेशखूंट, मानसी, खगड़िया एवं बलिया। ट्रिप-01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स-17.11.25 फिटनेश-17.11.27 बीमा-16.11.26 प्रदूषण-17.11.26	आपत्तिकर्ता श्री अजीत कुमार, वाहन सं०-BR09PA-9165 का कहना है कि मार्ग संख्या 3169 का भाया कवेला, नयागॉव, परबत्ता का भाया सही नहीं है और ना ही सड़क है और ना ही अधिसूचित मार्ग मुताबिक परिचालन होता है। वाहन का परिचालन सीधे अगुवानी के बाद परबत्ता किया जाता है, अगुवानी से वाहन खुलने के बाद कवेला, नयागॉव जाने का मार्ग नहीं है। मार्ग की स्थिति निम्न है-अगुवानी, कवेला, नयागॉव, परबत्ता, मरैया, जमालपुर, महेशखूंट, मानसी, खगड़िया, बलिया एवं बेगूसराय। जबकि मार्ग संख्या 3169 का अधिसूचित मार्ग भाया सही नहीं है अधिसूचित मार्ग संख्या 3169 कवेला, नयागॉव आता ही नहीं है जिसे जाँच कर सुधार हेतु परिवहन विभाग भेजा जा सकता है। साथ ही साथ पिकेश कुमार सिंह के द्वारा प्राधिकार की बैठक-31.01.2026 में वाहन सं० BR09R-0110 के व्हीलबेस संबंधित 4900 व्हीलबेस 49 सीट होना चाहिए संबंधित आपत्ति लगाया गया था, जबकि इनके वाहन सं० BR08P-5839 व्हीलबेस 5200 बैटान क्षमता 41, साथ ही साथ वाहन सं० BR09PA-6784 व्हीलबेस 5200 बैटान क्षमता 41, वाहन सं० BR09M-3060 व्हीलबेस 4900 बैटान क्षमता 41, वाहन सं० BR06PA-9840 व्हीलबेस 4900 बैटान क्षमता 41, वाहन सं० BR09P-3233 व्हीलबेस 5200 बैटान क्षमता 39, वाहन सं० BR09M-3171 व्हीलबेस 4900 बैटान क्षमता 41, वाहन सं० BR08P-5588 व्हीलबेस 5200 बैटान	आवेदनकर्ता का अधिसूचित मार्ग सं०-3169 अगुवानी से बेगूसराय है तथा आपत्तिकर्ता का अधिसूचित मार्ग सं०-3225 डाउन बेगूसराय से भागलपुर रेलवे स्टेशन है। आवेदनकर्ता तथा आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या भिन्न है। आवेदनकर्ता द्वारा ऑनलाईन वाहन परमिट पोर्टल पर अधिसूचित मार्ग संख्या 3169 के संबंध में मार्ग का नाम, भाया सहित कुल दूरी तथा आवेदनकर्ता के नाम से निबंधित वाहन यथा-BR08P-5839, BR09PA-6784, BR09M-3060, BR06PA-9840, BR09P-3233, BR09M-3171, BR08P-5588 एवं BR11PA-3011 पर व्हीलबेस से संबंधित आपत्ति की गई है। अतएव जिला परिवहन पदाधिकारी, बेगूसराय एवं खगड़िया से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरान्त ही परमिट आवेदन पर विचार किया जायेगा।

अपर समाहर्ता-सह-सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

					<p>क्षमता 41, वाहन सं० BR11PA-3011 व्हीलबेस 5200 बैटान क्षमता 42 का भी जाँचोपरांत कारवाई की जाय।</p> <p>अतः श्रीमान् से नम्र निवेदन है कि वाहन सं० BR08P-5839 का आवेदित मार्ग का भाया सही नहीं है एवं व्हीलबेस जाँच के बाद उचित निर्णय लिया जाय।</p>
26	17	<p>BR09PA-9467 (17.10.2024) श्री केशव कुमार, पिता—श्री संजय कुमार, पता—गोरगामा, नयागाँव जिला—बेगूसराय।</p>	<p>प्रकाशन—14.02.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या—MPPY2032, मटिहानी से अगुवानी, भाया—बेगूसराय, बलिया, साहेबपुर कमाल, खगड़िया, मानसी, महेशखूंट, जमालपुर, मरैया एवं परबत्ता। ट्रिप—02 (02 अप 02 डाउन)</p>	<p>टैक्स—09.04.26 फिटनेश—16.10.26 बीमा—10.10.26 प्रदूषण—16.10.26</p>	<p>क्षमता 41, वाहन सं० BR11PA-3011 व्हीलबेस 5200 बैटान क्षमता 42 का भी जाँचोपरांत कारवाई की जाय।</p> <p>अतः श्रीमान् से नम्र निवेदन है कि वाहन सं० BR08P-5839 का आवेदित मार्ग का भाया सही नहीं है एवं व्हीलबेस जाँच के बाद उचित निर्णय लिया जाय।</p>
				<p>➤ प्रथम आपत्तिकर्ता श्री रंजीत कुमार, वाहन सं०—BR09PA-9608 का कहना है कि आवेदनकर्ता द्वारा दिये गये आवेदन MPPY योजना के तहत मार्ग मटिहानी पर आवेदन किया गया है, जिसके बीच निम्न टकराव है :-</p> <p>आवेदनकर्ता आपत्तिकर्ता खगड़िया प्र० 06:59 07:00 बलिया प्र० 07:40 07:40 महेशखूंट से खगड़िया, बलिया, बेगूसराय तक समान मार्ग है। आवेदनकर्ता खगड़िया प्रस्थान 06:59 एवं बलिया 07:40 है, जबकि आपत्तिकर्ता खगड़िया 07:00 एवं बलिया 07:40 पर परमिट प्राप्त एवं परिचालित है। टकराव एवं ओवरटेक का मामला है खगड़िया से आगे खुलने के बाद बलिया same समय है। आगे खुलने के बाद पूरे मार्ग आगे चलने का आदेश प्राप्त है ताकि ओवरटेक न हो। साथ ही साथ वाहन सं० BR09PA-9467 का आवेदन रात्रि के 02:00 बजे आवेदन किया गया है, उस समय मटिहानी ब्लॉक में कोई यात्री न रहेगा आवेदित समय—सारणी सिर्फ छलावा है, मटिहानी ब्लॉक से जिला मुख्यालय को जोड़ने हेतु MPPY योजना के तहत अनुदान की राशि दिया गया है। MPPY योजना का लाभ जनता को नहीं मिलेगा। इस आशय का शपथ पत्र वाहन स्वामी से लिया जाय कि वाहन का परिचालन मटिहानी ब्लॉक से किया जाएगा।</p> <p>अतः श्रीमान् से निवेदन है कि वाहन सं० BR09PA-9467 के टकराव एवं ओवरटेक के बिन्दु पर उचित निर्णय लेने की कृपा कि जाय एवं मटिहानी की जनता को MPPY</p>	<p>➤ आवेदनकर्ता का अधिसूचित मार्ग संख्या—MPPY2032 मटिहानी से अगुवानी है तथा प्रथम एवं द्वितीय आपत्तिकर्ता का अधिसूचित मार्ग सं०—3225 भागलपुर रेलवे स्टेशन से बेगूसराय है।</p> <p>आवेदनकर्ता, प्रथम एवं द्वितीय आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या भिन्न है। आवेदनकर्ता का आवेदन मुख्यमंत्री प्रखण्ड परिवहन योजना (MPPY) के तहत अधिसूचित मार्ग सं०— MPPY2032 मटिहानी से अगुवानी है तथा प्रथम एवं द्वितीय आपत्तिकर्ता का सामान्य अधिसूचित मार्ग सं०—3225 भागलपुर रेलवे स्टेशन से बेगूसराय है।</p> <p>अतएव परमिट आवेदन स्वीकृत किया जाता है।</p>

अपर समाहर्ता—सह—सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त—सह—सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

				<p>योजना का लाभ मिलना प्रतीत नहीं होता है।</p> <p>➤ द्वितीय आपत्तिकर्ता श्री अजीत कुमार, वाहन सं०—BR09PA-6689 का कहना है कि आवेदनकर्ता द्वारा दिये गये प्रस्तावित समय—सारणी मेरे वाहन के निर्गत परमिट के समय—सारणी के बीच निम्न टकराव है :-</p> <p>आवेदनकर्ता आपत्तिकर्ता महेशखूंट प्र० 06:23 06:25 बलिया प्र० 07:40 07:40</p> <p>महेशखूंट से खगड़िया, बलिया, बेगूसराय तक समान मार्ग है। आवेदनकर्ता खगड़िया प्रस्थान 06:59 एवं बलिया 07:40 है, जबकि आपत्तिकर्ता का वाहन खगड़िया प्रस्थान 07:05 एवं बलिया प्रस्थान 07:40 है जो ओमरटेक एवं टकराव का मामला है जबकि खगड़िया से आगे खुलते है तो सम्पूर्ण मार्ग पर आगे चलने का आदेश है। साथ ही साथ वाहन स्वामी से इस आशय का शपथ पत्र लिया जाए कि मुख्यमंत्री योजना का लाभ जनता को मिलता है कि सिर्फ अनुदान राशि का लाभ वाहन स्वामी के द्वारा लिया जा रहा है, क्योंकि वाहन का परिचालन मटिहानी ब्लॉक से जिला मुख्यालय को जोड़ने हेतु सरकार के द्वारा अनुदान दिया गया है। इसका लाभ जनता को मिलता है या नहीं। इस संबंध में प्रखंड विकाश पदाधिकारी मटिहानी से भी रिपोर्ट लिया जा सकता है। साथ ही साथ रात्रि को 02:00 मटिहानी ब्लॉक जिला मुख्यालय कोन यात्री आएगा, ऐसा समय—सारणी देना सिर्फ जनता के साथ छलावा है सिर्फ मटिहानी प्रखंड से समय—सारणी दिया गया है परिचालन नहीं किया जाएगा।</p> <p>अतः श्रीमान् से निवेदन है कि वाहन सं० BR09PA-9467 के टकराव एवं ओमरटेक के बिन्दु पर न्यायपूर्वक निर्णय लेने की कृपा की जाय एवं मटिहानी के जनता को भी मुख्यमंत्री परिवहन योजना का लाभ मिल सके ऐसा प्रतीत होता दिख नहीं रहा है।</p>
--	--	--	--	---

अपर समाहर्ता—सह—सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त—सह—सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

27	18	R08P-5931 (NEW) (.02.2026) श्री नित्यानंद सिंह, पिता-श्री रामधन सिंह, पता-गोरगामा, दरियापुर, जिला-खगड़िया।	प्रकाशन-14.02.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3169, अगुआनी से बेगूसराय। भाया-कबैला, नयागॉव, परबत्ता, मरैया, जमालपुर, महेशखूंट, मानसी, खगड़िया एवं बलिया। ट्रिप-01 (01 अप 01 डाउन)		<p>➤ आपत्तिकर्ता श्री संजय कुमार, वाहन सं०-BR09H-8311 का कहना है कि आवेदनकर्ता के आवेदन में वाहन सं० अंकित नहीं है।</p> <p>आवेदनकर्ता का समय-सारणी त्रुटिपूर्ण है। आवेदनकर्ता का आवेदन अगुआनी से वाहन प्रस्थान कर परबत्ता आती है जबकि मार्ग अगुआनी से कवेला, नयागॉव के बाद परबत्ता आती है। आवेदनकर्ता अपने आवेदन में कवेला एवं नयागॉव का उल्लेख नहीं किये। आवेदनकर्ता का वाहन अगुआनी से सीधे परबत्ता आगमन करती है जो मार्ग सं० 3169 में नहीं है। अगुआनी से बेगूसराय मार्ग की जाँच जिला परिवहन पदाधिकारी, खगड़िया से पूर्व में करायी गयी है।</p>	<p>आवेदनकर्ता एवं आपत्तिकर्ता का अधिसूचित मार्ग सं०-3169 अगुआनी से बेगूसराय है।</p> <p>आवेदनकर्ता तथा आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या समान है। अतएव अधिसूचित मार्ग संख्या 3169 के संबंध में मार्ग का नाम, भाया सहित कुल दूरी के संबंध में जिला परिवहन पदाधिकारी, खगड़िया से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरान्त ही अगली बैठक में संशोधित समय-सारणी समर्पित करने हेतु एक मौका दिया जाता है।</p>
28	19	BR46P-5366 (24.04.2018) श्री प्रसेनजीत कुमार, पिता-शम्भू शरण सिंह, पता-मल्लेपुर, जिला-जमुई।	प्रकाशन-14.02.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3219 डाउन, चकाई से मुंगेर। भाया-सोनो, जमुई, मल्लेपुर एवं खडपुर। ट्रिप-01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स-15.02.26 फिटनेश-05.02.25 /05.02.2028 बीमा-04.02.27 प्रदूषण-27.01.27	<p>➤ आपत्तिकर्ता श्री रविन्द्र कुमार, वाहन सं०-BR46P-6270 का कहना है कि आवेदनकर्ता चकाई से मुंगेर परमिट प्राप्त कर आपत्तिकर्ता को परेशान करने के लिए वाहन का परिचालन सरौन से करते हैं। आवेदनकर्ता पूर्व का परमिट सरेन्डर किये बिना परमिट का आवेदन किये हैं। इस संबंध में पूर्व में आपत्तिकर्ता आवेदन दे चुके हैं लेकिन कोई जाँच नहीं की गयी। आवेदनकर्ता परमिट प्राप्त कर किसी भी अन्य वाहन का परिचालन में करते हैं।</p>	<p>➤ आवेदनकर्ता का अधिसूचित मार्ग सं०-3219 डाउन चकाई से मुंगेर है एवं आपत्तिकर्ता का अधिसूचित मार्ग संख्या-MPPY1556 सरौन से जमुई है।</p> <p>आवेदनकर्ता तथा आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या भिन्न है। आवेदनकर्ता द्वारा पूर्व से प्राप्त निर्गत परमिट को बिना प्रत्यापण किये परमिट का आवेदन किया गया है।</p> <p>अतएव परमिट आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।</p>
29	20	BR27C-4001 (07.03.2013) श्री शम्भू शरण सिंह, पिता-स्व० दिनेश सिंह, पता-मल्लेपुर, बरहट, जिला-जमुई।	प्रकाशन-14.02.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3219 डाउन, चकाई से मुंगेर। भाया-सोनो, जमुई, मल्लेपुर एवं खडपुर। ट्रिप-01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स-06.05.26 फिटनेश-07.08.26 बीमा-13.10.26 प्रदूषण-29.07.26	<p>➤ आपत्तिकर्ता श्री सुमीत कुमार, वाहन सं०-BR10Q-1073 का कहना है कि आवेदनकर्ता 5:10 में चकाई से प्रस्थान कर मल्लेपुर स्टेशन से 8:22 में प्रस्थान करते हैं। आपत्तिकर्ता का वाहन चकाई से 5:30 में प्रस्थान करती है। मल्लेपुर में आवेदनकर्ता आपत्तिकर्ता के समय-सारणी के बाद प्रस्थान करते हैं, मल्लेपुर से आपत्तिकर्ता का वाहन 8:13 में प्र० करती है। आवेदनकर्ता का वाहन चकाई से पहले प्र० कर मल्लेपुर में पीछे हो जाते हैं। प्राधिकार के नियम के अनुसार पहले प्र० करने वाले वाहन को अन्य स्थानों पर आगे आगे प्र० करना है। आवेदनकर्ता परमिट को सरेन्डर किये बिना आवेदन किये हैं। आवेदनकर्ता का एक अन्य वाहन</p>	<p>➤ आवेदनकर्ता एवं आपत्तिकर्ता का अधिसूचित मार्ग सं०-3219 डाउन चकाई से मुंगेर है।</p> <p>आवेदनकर्ता तथा आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या समान है। अतएव आपत्तिकर्ता द्वारा परमिट आवेदन पर ओवरटेक से संबंधित है।</p> <p>अतः अगली बैठक में संशोधित समय-सारणी समर्पित करने हेतु एक मौका दिया जाता है।</p>

अपर समाहर्ता-सह-सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

					संख्या-BR34P-4001 मल्लेपुर से 8:10 में परमिट का आवेदन किये है आपत्तिकर्ता का वाहन 8:13 में प्र0 करती है मल्लेपुर से जानबुझकर तंग करने के नियत से दोनों वाहन का समय-सारणी दिये है।	
30	21	BR34P-4001 (10.06.2013) श्री शम्भू शरण सिंह, पिता-स्व0 दिनेश सिंह, पता-मल्लेयपुर, बरहट, जिला-जमुई।	प्रकाशन-14.02.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3219 डाउन, चकाई से मुंगेर। भाया-सोनो, जमुई, मल्लेपुर एवं खड़पुर। ट्रिप-01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स-01.05.26 फिटनेश-19.03.26 बीमा-05.09.26 प्रदूषण-29.07.26	<p>➤ आपत्तिकर्ता श्री सुमीत कुमार, वाहन सं0-BR10PC-9317 का कहना है कि आवेदनकर्ता द्वारा दिये गये प्रस्तावित समय-सारणी मेरे वाहन के निर्गत परमिट के समय-सारणी के बीच निम्न टकराव है :- आवेदनकर्ता आपत्तिकर्ता मल्लेपुर 08:22 08:25 मल्लेपुर में दोनों वाहन के समय-सारणी में तीन मिनट का अन्तराल है। आपत्तिकर्ता पूर्व के परमिट को सरेन्डर नहीं किये है। आवेदनकर्ता चकाई से 05:20 में प्रस्थान कर अन्य वाहन के समय-सारणी को ओवरटेक कर रहे है।</p>	<p>➤ आवेदनकर्ता एवं आपत्तिकर्ता का अधिसूचित मार्ग सं0-3219 डाउन चकाई से मुंगेर है। आवेदनकर्ता तथा आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या समान है। आपत्तिकर्ता का मध्य बिन्दु मल्लेपुर में प्रस्थान समय 08:22 पर टकराव नहीं है। आवेदनकर्ता द्वारा पूर्व से प्राप्त परमिट को बिना प्रत्यापण किये परमिट का आवेदन किया गया है। अतएव परमिट आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।</p>
31	22	BR46P-0883 (02.06.2016) श्री रेवाती रमन, पिता-श्री ओंकार सिंह, पता-मटासी, हलसी, जिला-लखीसराय।	प्रकाशन-14.02.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3269, सिकन्दरा से शोखपुरा स्टेशन। भाया-चेवारा एवं गिरिहण्डा। ट्रिप-04 (04 अप 04 डाउन)	टैक्स-24.02.26 फिटनेश-16.12.26 बीमा-01.03.26 प्रदूषण-07.04.26	अप्राप्त	आपत्ति अप्राप्त अतः परमिट आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।
32	23	BR09PA-9164 (06.06.2024) श्री अजीत कुमार पिता-रामनंदन सिंह, पता-पहसारा, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-14.02.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3225 डाउन, बेगूसराय से भागलपुर रै0स्टे0। भाया-बलिया, खगड़िया, मानसी, महेशखूंट, पसराहा, नारायणपुर, थाना बिहपुर, नौगछिया जीरोमाईल एवं भागलपुर जीरोमाईल। ट्रिप-02 (02 अप 02 डाउन)	टैक्स-05.03.26 फिटनेश-05.06.26 बीमा-28.04.26 प्रदूषण-04.06.26	<p>➤ आपत्तिकर्ता श्री संजय कुमार, वाहन सं0-BR08P-5490 का कहना है कि आवेदनकर्ता द्वारा दिये गये प्रस्तावित समय-सारणी मेरे वाहन के निर्गत परमिट के समय-सारणी के बीच निम्न टकराव है :- आवेदनकर्ता आपत्तिकर्ता बलिया प्र0 18:10 18:10 दोनों वाहन के समय-सारणी में बलिया में टकराव है। आवेदनकर्ता दो अप दो डाउन का परमिट का आवेदन किये है। भागलपुर रेलवे स्टेशन से बेगूसराय मार्ग पर वाहन का परिचालन दो अप दो डाउन के संबंध में जिला परिवहन पदाधिकारी, बेगूसराय से जाँच प्रतिवेदन माँगा गया है। जिला परिवहन पदाधिकारी, बेगूसराय का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद आवेदक के परमिट आवेदन पर विचार करने की कृपा</p>	<p>➤ आवेदनकर्ता का अधिसूचित मार्ग सं0-3225 डाउन बेगूसराय से भागलपुर रेलवे स्टेशन से है एवं आपत्तिकर्ता का अधिसूचित मार्ग सं0-3225 भागलपुर रेलवे स्टेशन से बेगूसराय है। आवेदनकर्ता तथा आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या समान है। आवेदनकर्ता का मध्य बिन्दु बलिया में प्रस्थान बिन्दु 18:10 पर टकराव है। उक्त टकराव के बिन्दु पर अगली बैठक में संशोधित समय-सारणी समर्पित करने हेतु एक मौका दिया जाता है।</p>

अपर समाहर्ता-सह-सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

					की जाय।	
33	24	BR46C-4001 (19.11.2013) श्री प्रसेनजीत कुमार सिंह, पिता-श्री शम्भू शरण सिंह, पता-मल्लेयपुर, जिला-जमुई।	प्रकाशन-14.02.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-2958, गढ़ी से मुंगेर। भाया-बाड़ीबाग, खैरा, जमुई, मलेयपुर एवं बरियारपुर। ट्रिप-02 (02 अप 02 डाउन)	टैक्स-15.02.26 फिटनेश-23.09.26 बीमा-31.05.26 प्रदूषण-16.05.26	आपत्तिकर्ता श्री सुमीत कुमार, वाहन सं0-BR10PB-9317 का कहना है कि आवेदनकर्ता परमिट को सरेन्डर किये बिना आवेदन किये है। मल्लेपुर से बरियारपुर की दूरी 58 किलोमीटर है। आवेदनकर्ता अपने आवेदन में 52 किलोमीटर का उल्लेख किये है। बरियारपुर से मुंगेर 18 किलोमीटर है, आवेदनकर्ता 16 किलोमीटर का उल्लेख आवेदन में किये है। इसी प्रकार डाउन समय-सारणी में भी त्रुटिपूर्ण दूरी का उल्लेख किये है। आवेदनकर्ता दो अप दो डाउन का परमिट आवेदन किये है जिसकी दूरी 436 किलोमीटर है। आवेदनकर्ता का वाहन 13 वर्ष पुराना है।	आवेदनकर्ता का अधिसूचित मार्ग सं0-2958 गढ़ी से मुंगेर एवं आपत्तिकर्ता का अधिसूचित मार्ग सं0-3219 डाउन चकाई से मुंगेर है। आवेदनकर्ता तथा आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या भिन्न है। आवेदनकर्ता द्वारा पूर्व से प्राप्त परमिट को बिना प्रत्यापण किये परमिट का आवेदन किया गया है। अतएव परमिट आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।
34	25	BR06PF-1247 (18.03.2021) श्रीमती संध्या कुमारी पति-श्री मनीष कुमार सिंह, पता-गोरगामा, गुरगांवन, मटिहानी, जिला-बेगुसराय।	प्रकाशन-14.02.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3225 डाउन बेगुसराय से भागलपुर रोस्टे0। भाया-बलिया, खगड़िया, मानसी, महेशखूंट, पसराहा, नारायणपुर, थाना बिहपुर, नौगछिया जीरोमाईल एवं भागलपुर जीरोमाईल। ट्रिप-02 (02 अप 02 डाउन)	टैक्स-17.03.26 फिटनेश-28.04.27 बीमा-19.03.26 प्रदूषण-17.04.26	अप्राप्त	आपत्ति अप्राप्त अतः परमिट आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।
35	26	BR27P-6295 (13.09.2019) श्री सुनील सिंह, पिता-श्री शिव शंकर सिंह, पता-मटासी, हलसी, जिला-लखीसराय ।	प्रकाशन-14.02.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-88, सिकन्दरा से शेखपुरा स्टेशन। भाया-चेवारा एवं गिरिहण्डा। ट्रिप-03 (03 अप 03 डाउन)	टैक्स-24.02.26 फिटनेश-16.12.26 बीमा-01.03.26 प्रदूषण-07.04.26	अप्राप्त	आपत्ति अप्राप्त अतः परमिट आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।

अपर समाहर्ता-सह-सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

परमिट प्रतिहस्ताक्षर आवेदन

क्र० सं०	आवेदन क्रमांक	वाहन सं०/निबंधन की तिथि, आवेदक का नाम एवं पता	आवेदित मार्ग/दूरी एवं प्रतिदिन की जाने वाली ट्रिपों की सं० एवं कुल दूरी	वाहन के कागजात की स्थिति	आपत्ति	प्राधिकार का निर्णय
36	28	BR19P-9521 (21.11.2025) श्री सागर कुमार, पिता-श्री संतोष सिंह, पता-अर्साहा, सुहथ, सौर बाजार जिला-सहरसा।	प्रकाशन-14.02.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-4536 गम्हरिया से खगड़िया। भाया-बैजनाथपुर, सहरसा, सौरबाजार, सोनवर्षा, मालीचौक, पिरनगरा, उसराह I, महेशखूंट एवं मानसी। ट्रिप-01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स-04.05.26 फिटनेस-20.11.27 बीमा-05.08.26 प्रदूषण-20.11.26	<p>➤ प्रथम आपत्तिकर्ता श्री मनोज कुमार राय, वाहन सं०-BR10PA-1679 का कहना है कि आवेदनकर्ता द्वारा दिये गये प्रस्तावित समय-सारणी मेरे वाहन के निर्गत परमिट के समय-सारणी के बीच निम्न टकराव है :- आवेदनकर्ता आपत्तिकर्ता खगड़िया प्र० 14:21 14:23 प्राधिकार के नियमानुसार मुख्य बिन्दु पर 05 मिनट का अन्तराल होना चाहिए परंतु आवेदनकर्ता द्वारा 02 मिनट का अन्तराल है। वाहन स्वामी सागर कुमार, वाहन सं०-BR19P-5621 का बीमा फेल है एवं BR19J-8121 का टैक्स फेल है, BR19P-4521 का फिटनेस, टैक्स, प्रदूषण फेल है, BR19P-4621 का फिटनेस, टैक्स, बीमा नहीं है, BR50P-8121 का फिटनेस, टैक्स, फेल है, BR50P-9421 का फिटनेस, टैक्स, बकाया है, उपरोक्त वाहन का एम० परिवहन का स्क्रीन संलग्न है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि उपरोक्त वाहन का प्रतिहस्ताक्षर निरस्त करने कि कृपा करे।</p> <p>➤ द्वितीय आपत्तिकर्ता श्री अमरनाथ सिंह, वाहन सं०-BR19G-7336 का कहना है कि आवेदनकर्ता द्वारा प्रतिहस्ताक्षर के लिए आवेदन दिया गया है। इनके नाम से निम्न वाहन सं०-BR19P-4521, BR50P-9421, BR19J-8121, BR19P-4621, BR50P-8121, BR19P-5621, इन सभी वाहनों का कागजात (बीमा, फिटनेस, रोड टैक्स) फेल है, जिससे सरकार को राजस्व की हानि होती है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि इन सभी वाहनों का सभी कागजात की जाँच के बाद ही उचित निर्णय लिया जाय। इसके लिए मैं श्रीमान् का सदा अमारी रहूँगा।</p>	<p>➤ आवेदनकर्ता एवं द्वितीय आपत्तिकर्ता का अधिसूचित मार्ग सं०-4536 डाउन गम्हरिया से खगड़िया है प्रथम आपत्तिकर्ता का अधिसूचित मार्ग सं०-3045 आलमनगर से खगड़िया है। आवेदनकर्ता तथा प्रथम आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या भिन्न है।</p> <p>➤ द्वितीय आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या समान है, परन्तु प्रतिहस्ताक्षर हेतु निर्गत परमिट के समय-सारणी से टकराव नहीं है। अतएव प्रथम आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या भिन्न है, जो विचारणीय नहीं है परन्तु कर प्रमाण पत्र के संबंध में संज्ञान में लाया गया है कि कर प्रमाण पत्र (टैक्स) अद्यतन नहीं था। कार्यालय द्वारा समीक्षो-परान्त पाया गया कि आवेदनकर्ता के वाहन सं०-BR19P-5621, BR50P-8121, BR19P-4621, BR19J-8121, BR19P-4521 एवं BR50P-9421 है। उक्त सभी वाहनों की जाँच M-Parivahan पर की गई एवं पाया गया कि कर प्रमाण पत्र अद्यतन है। प्रतिहस्ताक्षर परमिट आवेदन की स्वीकृति दी जाती है।</p>

अपर समाहर्ता-सह-सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

कार्यावली संख्या - 04

परमिट नवीकरण आवेदन

क्र० सं०	आवेदन क्रमांक	हन सं०/निबंधन की तिथि, आवेदक का नाम एवं पता	आवेदित मार्ग/दूरी एवं प्रतिदिन की जाने वाली ट्रिपों की सं० एवं कुल दूरी	वाहन के कागजात की स्थिति	आपत्ति	प्राधिकार का निर्णय
37	36	BR21G-9674 (27.02.2016) श्रीमती जयरानी देवी, पति-श्री संजय सिंह, पता-फैजलपुर, बरबीघा, शेखपुरा जिला-नालंदा।	अधिसूचित मार्ग संख्या-115, बरबीघा से मुंगेर। भाया-शेखपुरा, लखीसराय एवं सूर्यगढ़ा। ट्रिप-01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स-08.03.26 फिटनेश-02.10.26 बीमा-28.01.27 प्रदूषण-07.11.26	अप्राप्त	आपत्ति अप्राप्त अतः परमिट नवीकरण आवेदन स्वीकृत किया जाता है।

कार्यावली संख्या - 05

पूर्व से प्राप्त परमिट का अपने ही अन्य नये उच्च मॉडल के वाहन पर प्रतिस्थापन

क्र० सं०	आवेदन क्रमांक	हन सं०/निबंधन की तिथि, आवेदक का नाम एवं पता	आवेदित मार्ग/दूरी एवं प्रतिदिन की जाने वाली ट्रिपों की सं० एवं कुल दूरी	वाहन के कागजात की स्थिति	परमिट का प्रतिस्थापन हेतु नयी वाहन सं० आवेदक का नाम एवं वाहन के कागजात की स्थिति	आपत्ति	प्राधिकार का निर्णय
38	37	BR09R-6303 (08.10.2015) श्रीमती सुनीता देवी (U/LA B.S.R.T.C.) पति-श्री सुधीर कुमार, पता-पहसारा, बभनगामा, जिला-बेगूसराय।	अधिसूचित मार्ग संख्या-3225 डाउन बेगूसराय से भागलपुर रे0स्टे0। भाया-बलिया, खगड़िया, मानसी, महेशखूंट, पसराहा, नारायणपुर, थाना बिहपुर, नौगछिया जीरोमाईल एवं भागलपुर जीरोमाईल। ट्रिप-02 (02 अप 02 डाउन)	टैक्स-02.10.26 फिटनेश-08.12.26 बीमा-16.02.26 प्रदूषण-09.10.26	BR08P-5934 (NEW) (00.02.2026) श्री सुनीता देवी (U/LA B.S.R.T.C.)	अप्राप्त	आपत्ति अप्राप्त अतः प्रतिस्थापन हेतु स्वीकृत किया जाता है।
39	38	BR09PA-1035 (31.03.2017) श्रीमती सीमा कुमारी, (U/LA B.S.R.T.C.) पति-श्री सुमित कुमार, पता-पहसारा, नॉवकोठी, जिला-बेगूसराय।	अधिसूचित मार्ग संख्या-3225 डाउन बेगूसराय से भागलपुर रे0स्टे0। भाया-बलिया, खगड़िया, मानसी, महेशखूंट, पसराहा, नारायणपुर, थाना बिहपुर, नौगछिया जीरोमाईल एवं भागलपुर जीरोमाईल। ट्रिप-02 (02 अप 02 डाउन)	टैक्स-29.03.26 फिटनेश-31.03.26 बीमा-28.02.26 प्रदूषण-17.06.26	BR08P-5935 (NEW) (00.02.2026) श्री सीमा कुमारी (U/LA B.S.R.T.C.)	अप्राप्त	आपत्ति अप्राप्त अतः प्रतिस्थापन हेतु स्वीकृत किया जाता है।

अपर समाहर्ता-सह-सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

40	39	BR09PA-1031 (31.03.2017) श्री अजीत कुमार, (U/LA B.S.R.T.C.) पिता-श्री राम नंदन सिंह, पता-पहसारा, नौवकोठी, जिला-बेगूसराय।	अधिसूचित मार्ग संख्या-3225 डाउन बेगूसराय से भागलपुर रेस्टे0। भाया-बलिया, खगड़िया, मानसी, महेशखूंट, पसराहा, नारायणपुर, थाना बिहपुर, नौगछिया जीरोमाईल एवं भागलपुर जीरोमाईल। ट्रिप-02 (02 अप 02 डाउन)	टैक्स-29.03.26 फिटनेश-31.03.26 बीमा-30.03.26 प्रदूषण-28.06.26	BR08P-5933 (NEW) (00.02.2026) श्री अजीत कुमार, (U/LA B.S.R.T.C.)	अप्राप्त	आपत्ति अप्राप्त अतः प्रतिस्थापन हेतु स्वीकृत किया जाता है।
41	40	BR09M-0110 (24.03.2014) श्री नित्यानंद सिंह, (U/LA B.S.R.T.C.) पिता-श्री रामधन सिंह, पता-पहसारा, नयागॉव, जिला-बेगूसराय।	अधिसूचित मार्ग संख्या-3225 डाउन बेगूसराय से भागलपुर रेस्टे0। भाया-बलिया, खगड़िया, मानसी, महेशखूंट, पसराहा, नारायणपुर, थाना बिहपुर, नौगछिया जीरोमाईल एवं भागलपुर जीरोमाईल। ट्रिप-02 (02 अप 02 डाउन)	टैक्स-18.03.26 फिटनेश-15.07.26 बीमा-13.07.26 प्रदूषण-02.09.26	BR08P-5932 (NEW) (00.02.2026) श्री नित्यानंद सिंह, (U/LA B.S.R.T.C.)	अप्राप्त	आपत्ति अप्राप्त अतः प्रतिस्थापन हेतु स्वीकृत किया जाता है।

कार्यावली संख्या - 06

स्टॉफ बस परमिट आवेदन

क्र० सं०	आवेदन क्रमांक	आवेदक का नाम एवं पता	वाहन सं०/मोडल वर्ष/सीट की संख्या	आवेदित मार्ग/दूरी एवं प्रतिदिन की जाने वाली ट्रिपों की सं० एवं कुल दूरी	वाहन के कागजात की स्थिति	प्राधिकार का निर्णय
42	41	श्री कुन्दन कुमार, पिता-स्व० भुल्लु सिंह, पता- शावे, सिंहौल, जिला-बेगूसराय।	BR09PB-0504 BUS (15.10.2025) 26 Seat	बरौनी रिफाइनरी कम्पस	टैक्स-10.10.26 फिटनेश-14.10.27 बीमा-08.10.26 प्रदूषण-नयी वाहन	स्वीकृत किया जाता है।

कार्यावली संख्या - 07

प्राप्त परमिट के समय-सारणी में संशोधन हेतु आवेदन

क्र० सं०	आवेदन क्रमांक	वाहन सं०/निबंधन की तिथि, आवेदक का नाम एवं पता	आवेदित मार्ग/दूरी एवं प्रतिदिन की जाने वाली ट्रिपों की सं० एवं कुल दूरी	वाहन के कागजात की स्थिति	आपत्ति	प्राधिकार का निर्णय
43	27	BR09PA-4603 (31.12.2019) श्री गोपाल कुमार, पिता-शिव शंकर सिंह, पता-राहटपुर, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-14.02.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3225 डाउन बेगूसराय से भागलपुर रेस्टे0। भाया-बलिया, खगड़िया, मानसी, महेशखूंट, पसराहा, नारायणपुर, थाना बिहपुर, नौगछिया जीरोमाईल एवं भागलपुर जीरोमाईल। ट्रिप-01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स-27.03.26 फिटनेश-26.12.27 बीमा-02.07.26 प्रदूषण-30.08.26	अप्राप्त	आपत्ति अप्राप्त अतः महेशखूंट में प्रस्थान समय 09:00 के स्थान पर 08:56, पसराहा में प्रस्थान समय 09:20 के स्थान पर 09:16 एवं नारायणपुर में प्रस्थान समय 09:40 के स्थान पर 09:38 पर संशोधन की स्वीकृति दी जाती है।

अपर समाहर्ता-सह-सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

नया एजेंट लाईसेंस


क्र० सं०	आवेदन क्रमांक	आवेदक का नाम एवं पता	संलग्न कागजातों की सूची	प्राधिकार का निर्णय
44	42	श्री धर्मेन्द्र कुमार पिता-स्व० पुनैय प्रसाद यादव, पता- ग्राम-कुशमार, पो०-था०-संग्रामपुर, जिला-मुंगेर।	आवेदन शुल्क – 3550/- चरित्र प्रमाण पत्र की छायाप्रति। मैट्रिक का प्रमाण-पत्र। आधार कार्ड की छायाप्रति। शपथ-पत्र।	स्वीकृत किया जाता है।

अन्यान्य :-

1. मुख्य बिन्दु से प्रस्थान के पश्चात् आने वाले पड़ावों पर धारा-91 का पालन करते हुए 05 मिनट से अधिक का ठहराव मान्य नहीं होगा।


अपर समाहर्ता-सह-सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर।


आयुक्त-सह-अध्यक्ष,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर।

ज्ञापांक :-सा०-०१-०१/२०२५.....८३...../परि०, मुंगेर, दिनांक- 27/02...../२०२६

प्रतिलिपि :-सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :-श्री नीरज कुमार, आई०टी० सहायक, आयुक्त कार्यालय, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को प्रमंडलीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर।